

भारतीय आंतरिक जिला कलकत्ता, नीम का भाग  
 इलाका :- सुरेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार उदयपुरवारी  
 डिस्क :- प्रार्थना - पत्र (स्वागत) ; मु० न० :- 04/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्राप्पु 4/2024	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--	---

24/7/24 पत्रावली पेज उई) चकीडु प्रार्थी उपस्थित।  
 चकीडु प्रार्थी वि प्रार्थना पत्र पर बहल  
 सुनी गई एवं बहल पर मनन किया गया।  
 पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड  
 का अवलोकन किया गया। पत्रावली में  
 उपलब्ध अधिनियम न्यायालय द्वारा पारित  
 निर्णय वि प्रार्थना का अवलोकन किया गया।  
 जिसके अवलोकन से पाया गया कि ग्राम  
 ख० न० 407 डिस्क बजड-2 तहसील मंगलसाह  
 तहसील उदयपुरवारी में जीव खोदकर चबूतरा  
 बनाकर अनाधिकृत रूप से कब्रिस्तान बना  
 पाया है। प्रार्थना पत्र के निवारण के लक्ष्य  
 न्यायालय को यह डेटना होना है कि प्रार्थी  
 के पत्र में प्रथम इच्छा मामला, कुविधा  
 का अनुत्पन्न व कुरंगीपसति के बिन्दु बनते  
 हैं अथवा नहीं। प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन  
 निम्न प्रकार है।

1. प्रथम इच्छा मामला :- पत्रावली व पत्रावली  
 में प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से पाया  
 गया कि प्रार्थी विवाहित श्रमि का आवेदक  
 नहीं है। विवाहित श्रमि राजकीय श्रमि है।  
 जिस पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से  
 कब्रिस्तान कर रखा है। जिसका उसे कोई  
 अधिकार नहीं है। प्रथम इच्छा मामला होने  
 के लिए कब्जा होना आवश्यक है। परन्तु प्रार्थी  
 द्वारा जो कब्जा कर रखा है वह राजकीय  
 श्रमि है। रिकार्ड आवेदक व राजकीय श्रमि के  
 विरुद्ध अत्यायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना  
 उचित प्रतीत नहीं होता है पत्रावली में उपलब्ध  
 रिकार्ड से व राजकीय श्रमि पर कब्रिस्तान करने  
 से प्रथम इच्छा मामला प्रार्थी के पत्र में बना  
 नहीं पाया जाता है।

2. कुविधा का अनुत्पन्न :- जहाँ लड इल बिन्दु  
 का प्रश्न है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने  
 कि दशा में ज्यादा अनुविधा प्रार्थी को लेगी  
 क्योंकि विवाहित श्रमि प्रार्थी वि आवेदारी कि ना  
 होकर राजकीय श्रमि है। इसलिए इस स्टेज पर  
 कुविधा का अनुत्पन्न प्रार्थी के पत्र में होना  
 नहीं पाया जाता है।

(अनिल कुमार)  
 जिला कलक्टर



तारीख अहकाम  
इस हुकम की  
तामील में जारी हुए

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	--	--

3. अप्रणीत सति का सिद्धान्त, - जहाँ तक इस  
विन्दू का प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार  
किये जाने की दशा में प्रार्थी को कोई विधिनु  
सामी ना होकर सिद्धी अप्रणीत सति के कारित  
होने की सम्भावना नहीं है। अप्पेडि भूमि राजकीय  
है जो प्रार्थी स्वयं स्वीकार करते करते हैं।  
एवं प्रद्वृत रिमार्ड से भी स्पष्ट है।

इस प्रकार प्रार्थी अपने पत्र में  
प्रथम दृष्ट्या माथला, पुषिधा का अनुलन  
व अप्रणीत सति के विन्दू साबित करने  
में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के  
साध्या पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को  
साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी  
का प्रार्थना पत्र खाबत द्यजन खारीज रिपा  
जाता है। नि० छ.

पत्रावल) छेकड शुमार होकर नम्बर  
से कम होकर काकिड दफ्तर में।

*(Signature)*

(अमिल कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
नीमकाथाना

